न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–301/2019

दिनांक–12.03.2026

एकबाल साह.....वादी

बनाम

विजेन्द्र राव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

आदेश (ORDER)

उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख उभय पक्षों की ओर से दिनांक 03.11.2025 को दाखिल सुलहनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद बजरिए पंचान एवं शुभचिंतकों के समझाने वो आपसी राजी–खुशी से मोकदमा हाजा में शामिल एराजियात के सम्बन्ध में सुलह हो गया है तथा अब उभय पक्ष मुकदमा लड़ना नहीं चाहते है तथा सुलहनामा के आधार पर वाद समाप्त कर लेना चाहते है।

शर्त सुलहनामा

अर्जी नालिस के मद नं0–01 वाली जमीन में से मुदई उत्तर तरफ 20 फीट जमीन छोड़कर छोड़े गए जमीन के दक्षिण 10 फीट का रास्ता पूरब सड़क से पश्चिम तक मुदालह विजेन्द्र राव वो जितेन्द्र राव को इस्तेमाल करने वास्ते दिया जाता है। मुदालह विजेन्द्र राव, निजी जमीन खाता–09, खेसरा–3244 से अंतिम पश्चिम तक 10 फीट रास्ता देंगे। उपरोक्त मुदई वो मुदालहम द्वारा दिए गए रास्ते का उपयोग एकबाल साह वो विजेन्द्र राव, जितेन्द्र राव वो उनके ही वारिसान उपयोग करेंगे। दीगर किसी भी व्यक्ति का इस रास्ते पर कोई अधिकार, दावा वो सरोकार नहीं रहेगा। मुदई वो मुदालह के अनुमति के बिना दीगर कोई भी व्यक्ति इस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकता है। बैनामा दिनांक 25.04.2017, दस्तावेज सं0–3877 अवध किशोर साह, मुदालह द्वितीय पक्ष बदस्त विजेन्द्र राव, बृजकिशोर राव, जितेन्द्र राव, अशोक सिंह वाला दस्तावेज बेकार, बेअसर वो शून्य वो बातिल करार दिया जाता है। यह दस्तोवज अनजाने में बिना हकीयत–हिस्सेदार व्यक्तियों से लिखवाया गया है। इसलिए उक्त दस्तोवज में वर्णित जमीन पर दखल–कब्जा भी नीं हुआ है। बाद में पता चला कि यह जमीन जोखन राव के हिस्से की थी, जिन्होनें दिनांक 070.06.

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–301/2019

दिनांक–12.03.2026

एकबाल साह.....वादी

बनाम

विजेन्द्र राव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

1990 में ही मुदई को बैनामा कर दखल–कब्जा दे दिया था। जिस पर वर्तमान में मुदई का दखल–कब्जा है। यह वारिसान पर भी लागू रहेगा। सुलहनामा पढ़ वो पढ़वाकर, सुन–समझकर सही पाकर अपना–अपना फोटो चिपका कर हस्ताक्षर किए है। लेहाजा शर्त सुलहनामा दाखिल कर उभय पक्ष उम्मीदवार है कि सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों की ओर से एक आवेदन दिनांक 03.11.2025 को दाखिल किया गया है तथा इसके द्वारा उभय पक्ष प्रस्तुत वाद में सुलहनामा चाहते है। उभय पक्षों के द्वारा दिनांक 03.11.2025 को हस्ताक्षरित, निशानयुक्त एवं फोटोयुक्त सुलहनामा दाखिल किया गया जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण के भी हस्ताक्षर है। सुलहनामा आवेदन में कहा गया है कि पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमति से वाद सुलह कर लिया गया है एवं सुलहनामा के पश्चात् पक्षकारों के बीच अब कोई विवाद नहीं है, लेहाजा अब मोकदमा लड़ना नहीं चाहते है। पक्षकारों द्वारा बखुबी सोच–विचार कर सुलहनामा के शर्तो को पढ़ समझकर राजी–खुशी से सुलहनामा पर अपना–अपना हस्ताक्षर, निशान एवं अपना छायाचित्र चिपकाकर अपने विद्वान अधिवक्ता से पहचान कराये है।

दिनांक 15.11.2025 को संधि पत्र के संबंध में सिरिस्तेदार का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अपने प्रतिवेदन में सिरिस्तेदार ने संधि पत्र को स्वीकार करने योग्य बताया है।

वादी की ओर से वादी एकबाल साह तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी बिजेन्द्र राव, बृजकिशोर राव, जितेन्द्र राव, अशोक कुमार सिंह, अवधकिशोर सिंह एवं जोखन राव ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर शपथपत्र पर अपने–अपने बयान में संधि पत्र का समर्थन किया तथा राजी खुशी से सुलह होना भी स्वीकार किया है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने बयान में संधि पत्र का समर्थन करते हुए संधि पत्र की शर्तो के आधार पर वाद

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–301/2019

दिनांक–12.03.2026

एकबाल साह.....वादी

बनाम

विजेन्द्र राव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

निष्पादित करने का कथन किया है।

अतः प्रस्तुत स्वत्व वाद संधि के आधार पर निष्पादित किया जाता है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि संधि पत्र डिक्री का अंश होगा तथा दोनों पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह समय–सीमा के अंदर डिक्री तैयार कर अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अवर न्यायाधीश–1
नरकटियागंज
दिनांक–12.03.2026